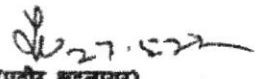


::अधिसूचना::

नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सबस्टेन्सेज एक्ट, 1985 (सन् 1985 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, कॉलम संख्या 2 में दर्शित न्यायाक्षेत्रों के जिला एवं सत्र न्यायालयों के स्थान पर कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के बारे में जिला एवं सत्र न्यायालय की क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है, एवं उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों का उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों में विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	जिला न्यायालय व न्यायाक्षेत्र का नाम	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, अजमेर	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता
2	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बानोतरा	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बानोतरा	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता
3	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांरा	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, बांरा	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता
4	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, बीकानेर	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता
5	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चुरू	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चुरू	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता
6	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता
7	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता
8	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, उदयपुर	जिला न्यायाधीश की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता

राज्यपाल के आदेश से,


(प्रवीर अटनागर)
प्रमुख सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/15/2019/...89.5

Date: 31.5.2022

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judges with a direction to transfer all the pending such cases to newly empowered courts.
3. Concerned Additional Sessions Judges
4. Concerned Chief Judicial Magistrates
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ S.C. Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell (for uploading the same on high court website) Rajasthan High Court, Jodhpur.

REGISTRAR (RULES)

31/05/2022